भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 1147
उत्तर देने की तारीख 23 मार्च, 2012

2जी स्पैक्ट्रम और लाइसेंसों का पुनरावंटन

1147. श्री बलविंदर सिंह भुंडर:

क्या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने 122 टूजी लाइसेंस रद्द कर दिए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या स्पैक्ट्रम को पुनरावंटित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है; और
(ङ) यदि हां, तो इस प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा)

(क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2010 की रिट याचिका (सिविल) सं0 423 के साथ वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं0 10 में अपने दिनांक 02.02.2012 के निर्णय के तहत वर्ष 2008 में प्रदान किए गए सभी 122 एकीकृत अभिगम सेवाएं (यूएएस) लाइसेंसों को रद्द कर दिया गया है। उपर्युक्त निर्णय के अनुसार न्यायालय के उपर्युक्त निर्देश चार माह बाद लागू होंगे।

(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) जो ट्राई अधिनियम, 1997 के तहत सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का कार्य करता है, ने उन सभी लाइसेंसधारकों को निर्देश जारी किए है कि जिनके लाइसेंस उच्चतम न्यायालय के आदेश के द्वारा रद्द कर दिए गए है, वे लाइसेंस की शर्तों के अनुसार चार माह की अवधि के दौरान सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

(घ) एवं (ङ) उपर्युक्त निर्णय में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सरकार ने दिनांक 03.02.2012 को ट्राई से सिफारिशें मांगी है इसके बाद ट्राई ने दिनांक 07.03.2012 को "स्पेक्ट्रम की नीलामी" के संबंध में परामर्श पत्र जारी किया है।

*****